न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2013-14 अपील माल A-2133-PBR/14

कपूरी बाई आयु 45 साल पत्नी प्रकाश पुरी पुत्री बादाम गिरी निवासी ग्राम सेकरा हाल निवास ग्राम चोमो खोरी परगना डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. - अपीलांट

श्री भूपेन्द्र शर्मा एडवोकेट
द्वारा आज दि. 16.7.14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. भागवान गिरि पुत्र बादाम गिरी निवासी ग्राम सेकरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

2. शांतिबाई पुत्री बादाम गिरि पत्नी सुंदर पुरी निवासी ग्राम रेहट चराई परगना घाटीगांव जिला ग्वालियर म.प्र.

16/7/14
भूपेन्द्र शर्मा एड.

3. कमलाबाई पुत्री बादाम गिरी पत्नी भीकमपुरी निवासी ग्राम भोरी तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र.

4. केशव गिरी पुत्र मंगल गिरि निवासी ग्राम वनबार तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र

5. टिंकू गिरि

6. अरविंद गिरि पुत्रगण केशव गिरी निवासीगण ग्राम वनबार तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र.

7. रानी पुत्री केशव गिरि पत्नी सोनू गुंसाई निवासी जखारा तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र.

-रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 462/10-11 अपील व उनमान भागवान गिरि बनाम शांतिबाई आदि मे पारित आदेश दिनांक 31.12.2013 से दुखित होकर अपीलांट की यह अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2133–पीबीआर/14 [कपूरीबाई/भगवान गिरि] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31–12–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध यह तृतीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । संहिता की धाारा 44 के अंतर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों की विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	